

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा गं.

✓/श्रीमती/कुमारी ३४८ नाम्बर पाठ्य

११३१० विनायकगढ़ लखनऊ

पत्रांक

२९१३

नि० प्रा०

दिनांक ८.१०.१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खंडा संख्या ११३१० योजना विकायगढ़ नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २०.१०.१७ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या २०१२/३२७/। के अनुसार निर्माणित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपर्युक्त अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि समिश्र में आप हासा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानविक रूप से निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानविक की अवधि (दिनांक ६.१०.१७ से ८.१०.२२ तक) पांच वर्ष की होगी। निर्माण उपर्युक्त कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानविक लाल रंग से अंकित किये गये रांशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूगत, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा गम्भी छेत्र १११.५७ की मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, १२००० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
३. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - १३ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
४. यदि इस भवन/भूखण्ड छेत्र कोई मानविक पहले से स्वीकृत हो तब एतद हासा यह मानविक निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

/ उपरोक्त

तदिनांक

प्रतिलिपि -

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - १३ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानविक (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकायगढ़ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२/८५
४.१०.१७

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी दिनेश बाबू शर्मा
५१००० विकास नगर, लखनऊ
९४१५ ९० ५८८८

पत्रांक २९८१

नि० प्रा० - २०१७/३३५

दिनांक १६.१०.१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या ५१००० योजना विकास नगर नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १५-९-१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २०१७/३३५
..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक १६.१०.१७ से १५.१०.२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूत्ता, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मटी हेतु १२२.५५ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
२२२.६१ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१३.....
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

/ उपरोक्त

/

तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१३.....उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। रामेश्वर लखनऊ
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर).....उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ.....
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

16/10/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

2. [Signature]



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई - 6

नीलगिरि काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शामीम खातून
7/621 विकास नगर
लखनऊ

पत्रांक 2966-

निर प्रा०-२०१७/३३।

दिनांक 12-10-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/स्वास्थ्य संख्या 7/621 योजना विकास नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11-09-2017 के क्रम में निर प्रो रजिस्टर संख्या २०१७/३३। के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 12-10-2017 से 11-10-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूत्त्व, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 96.61 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 18000 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 1.3 उप प्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

J/Caly
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पुरो सं 2966 -

/उपरोक्त

/

तददिनांक 12-10-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 1.3 उप प्रो आवास एवं विकास परिषद नीलगिरि काम्पलेक्स को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। रानीरा नगर लखनऊ
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकास नगर उप प्रो आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

J/Caly
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी झाँचिल कुमार जीवाहतत एवं जीगती मनीषा जीवाहतत
5/256 विकास नगर
लखनऊ

पत्रांक ३०१४

नि० प्रा० २०१६/२०३/२

दिनांक ०७/१०/१६

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 5/256 योजना विकास नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ४-४-१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या २०१६/२०३/२ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ०७/१०/१६ से ०६/१०/२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति ब्रेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा ममी हेतु १४x०९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए १४x०६.८ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१३ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक १४x०९ वर्गमीटर भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं० ३०१५ /उपरोक्त

प्रतिलिपि:-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक ०७/१०/१६

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१३ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स इन्डिरा नगर लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर या.) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद विकास नगर लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

✓ श्री/श्रीमती/कुमारी नन्दित कुमार जीवास्तव एवं जीमती कविता जीवास्तव
1/180 विकास नगर

लखनऊ

पत्रांक 3017

नि० प्रा० 2016/217/2

दिनांक 07/10/16

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खस्सा संख्या 1/180 योजना विकास नगर नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 2.3. - 9-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/217/2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 07/10/16 से 06/10/2021 तक) पाँच वर्ष की तोड़ी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित भान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूखण्ड, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मटी हेतु 14.4x9.3 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 2.53x0.9 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर ऐन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

प० स० 3017 /उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 07/10/16

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर नौ.) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास नगर लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी भूव वास्तुविद नियोजक
07/10/16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी ईश्वरी लाल टमटा
1/814 विकास नगर
लखनऊ

पत्रांक

1357

नि० प्रा० 2017/275/2

दिनांक 16/5/17

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या 1/814 योजना विकास नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28-4-17 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2017/275/2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 16/5/17 से 15/5/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति ~~क्लैसरेंट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा~~ गमटी हेतु 158:73 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 264.82 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
7. यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 158:73 वर्गमीटर भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं० 1357 /उपरोक्त

प्रतिलिपि:-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इन्दिरा नगर लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर पोज़ि) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद विकास नगर लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी १८०१ १८१२ तिवारी
२/६५५ विकास नगर, लखनऊ
१८२४७३ नि० प्रा० २०१६/१६।

पत्रांक ५४३

दिनांक २६/२/१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खम्मरा संख्या २/६५५ योजना विकास नगर नगर १८२४७३
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १२.२.१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २०१६/१६
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २६/२/१६ से २५/२/२०२१ तक) पाँच वर्ष की ढोगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु २०५.४० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
३२८.३५ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१३
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

२६/२/१६

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
/ ०/८ तददिनांक २६/२/१६

पृ० सं० ५४३ / उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१३ इन्दिरा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद १८२४७३
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकास नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद १८२४७३
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२६/२/१६

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
०/८ २६/२/१६



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी मना हरू लाल

4/248 विलास सेक्टर 17

लक्ष्मी

नि० प्रा० 2016/17।

पत्रांक

420

दिनांक 17/2/16

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या 4/248 ग्रोजना विलास सेक्टर 17 नगर 12973

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 5.2.16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपचित्रित व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक 17/2/16 से 16/2/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममठी हेतु 96.10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 127.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व केन्द्रीय समिति।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब ऐतद् द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 420

/उपरोक्त

०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक तददिनांक 17/2/16

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 विलास सेक्टर 17 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद 12973 को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विलास सेक्टर 17 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद 12973 को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Praveen Vithal
JM

Praveen Vithal
17/2/16



IS 15700:2005
सर्वोच्च इगारिका

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई—षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत—पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी अदुल कुमार गोविल
4/237 विकास नगर
लखनऊ - 226022

पत्रांक

2456

निर प्रा० 2016/180/3

दिनांक 12/8/16

भवन/ भूखण्ड संख्या / खसरा संख्या 4/1107 योजना विकास नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14-5-16 के क्रम में निर प्रा० रजिस्टर संख्या 2016/180/3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 12/8/16 से 11/8/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा ममी हेतु 89.17 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 112.91 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
7. यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 89.17 वर्गमीटर भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पू० सं०
प्रतिलिपि:-

2456


/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तददिनांक 12/8/16

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर यो०) उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. [Signature] 12/8/16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्द्रिया नगर, लखनऊ

(‘‘जो प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा मं.

श्री/ श्रीमती/ कुमारी चौराजा अशोकल
प्रवेश संख्या- १२१४३ प्रक्रम १२
प्राप्ति संख्या ५०७८

पत्रांक २२८८ -

ନିୟମ ପ୍ରାଚୀନତା

दिनांक... १-८-२०१७

भवन / भूखण्ड संख्या / स्थान संख्या ।२/८३ योजना विभाग नं. लग्ना नगर C/2/973

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २४.७.२०१९ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या १३२

..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 1-8-2017 से 31-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
 - यह स्वीकृति ~~पूर्ण~~ प्रथम तल, ~~पर्सिक~~ तथा ममटी हेतु 109 '10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 162.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
 - भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— 13 उ 30 प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
 - यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
 - यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 - 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० २२८८

/उपरोक्त

०।८ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक

परिविपि

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड १३ डिक्री पंजाब उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ८८४/८५
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विज्ञापन लगा! उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ८७४/८५
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

८) विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
मंगल